उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1

संख्या : 5/2016/बी-1-2034 /दस-2016-एम-39/2016

लखनऊ : दिनाँक : 29 अगस्त, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

भारत सरकार के पत्र दिनांक 24 जून, 2016 के अनुसार राज्य में केन्द्रीय योजनाओं (सी0पी0 / सी0ए0एस0पी0) को पब्लिक फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट सिस्टम (पी.एफ.एम.एस.) के द्वारा प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार स्टेट एडवाइजरी ग्रुप गठित किया जाता है -

1	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव / सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
3	प्रमुख सचिव / सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
4	प्रमुख सचिव / सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
5	प्रमुख सचिव / सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
6	प्रमुख सचिव / सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
7	प्रमुख सचिव / सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	
7	श्री आलोक कुमार वर्मा, कन्ट्रोलर ऑफ एकाउण्ट्स (सी.बी.ई.सी.), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य सचिव

इस सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार गठित स्टेट एडवाइजरी ग्रुप द्वारा केन्द्रीय योजनाओं को पी.एफ.एम.एस. के द्वारा प्रभावी क्रियान्वयन किये जाने हेतु समय-समय पर समीक्षा की जायेगी एवं राज्य सरकार की योजनाओं को पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से कार्यान्वित किये जाने हेतु अपनी संस्तुति दी जायेगी ।

संलग्नक : यथोपरि ।

(दीपक सिंघल)

मुख्य सचिव ।

संख्या : बी-1- 2034(1)/दस-2016-एम-39/2016, तददिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1 श्री अशोक लवासा, सचिव, वित्त, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ।

2 समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
3 प्रमुख सचिव / सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
4 प्रमुख सचिव / सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
5 प्रमुख सचिव / सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
6 प्रमुख सचिव / सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
7 प्रमुख सचिव / सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
8 श्री आलोक कुमार वर्मा, कन्ट्रोलर ऑफ एकाउण्ट्स (सी.बी.ई.सी.),
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ।

आज्ञा से,

(मुकेश मित्तल)
सचिव, वित्त ।